गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
GOA SHIPYARD LIMITED
आयएसओ 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 कंपनी प्रमाणित
AN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 CERTIFIED COMPANY
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
वास्को-द-गामा, गोवा
VASCO-DA-GAMA, GOA, 403 802, INDIA.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष/ Tel. : (0832) 2512152 - 56, 2512359
फ़ैक्स/Fax. : (0091-832)2514232, 251148, 2513260
ई-मेल / E-mail. : contactus@goashipyard.com
वेब / Website : www.goashipyard.com
GSL CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)
U63032GA1967G01000077
GSTIN : 30AAACG7569F1ZR
पंजिकृत कार्यालय और यार्ड : वास्को-द-गामा, गोवा - ४०३८०२.
Registered Office & Yard : Vasco-da-Gama, Goa, 403 802, India.
सभी उत्तर अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक को संबोधित करना है।
All replies to be addressed to the Chairman & Managing Director

57वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस

एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 57वीं वार्षिक साधारण बैठक, शुक्रवार दिनांक 29 सितंबर, 2023 को 1530 बजे भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') द्वारा निम्नलिखित कार्यों को संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल एवं उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना।

2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर पर 3.75 रुपए (अर्थात @ 75%) की दर से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और 5.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 1.65 रुपए (अर्थात @ 33%) की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने और इस संबंध में विचार करने और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 142 एवं कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 174 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एन्ड ए जी) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 5,00,000/- रुपए जोड जीएसटी एवं फुटकर खर्च की वास्तविक राशि पर लागू कर को जोड़ कर, नियत किया जाए।"

विशेष कार्य

4. **श्री टी नटराजन (डीआयएन–00396367), अपर सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना: -

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama
गोवा . Goa. 403802
GOA SHIPYARD LIMITED

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 23 दिसंबर, 2022 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र सं. 8(32)/2019–डी(कॉर्ड/डीडीपी) के अनुसरण में, श्री टी नटराजन (डीआयएन–00396367), अपर सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

5. **श्री सुनील शिवलिंग बागी (डीआयएन–09750279), की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिनांक 26 सितंबर, 2022 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. 2/1(3)/2019/डी(एनएस) के अनुसरण में, श्री सुनिल शिवलिंग बागी (डीआयएन–09750279) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों पर कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के लिए सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

6. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करना ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित लगे तो संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन(नों) के, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों जिसे कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (तत्समय के लिए लागू कोई भी सांविधिक संशोधन(नों) या उसके पुन: अधिनियम(मों) सहित) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक सीएमए दिलीप वेंगुर्लेकर, लागत लेखाकार, पणजी, गोवा को 1,50,000/- रुपए एवं लागू जीएसटी तथा फुटकर खर्च की वास्तविक राशि (अधिकतम 25,000/- रुपए) एवं लागू कर, पारिश्रमिक के रूप में देय है तथा एतद् द्वारा संपुष्टि की जाती है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा - Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

स्थान : वास्को द गामा, गोवा
दिनांक : 28 जुलाई 2023

टिप्पणियाँ :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी दिनांक 28 दिसंबर 2022 का साधारण परिपत्र सं. 10/2022 जिसे 8 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं.14/2020, 13 अप्रैल 2020 का साधारण परिपत्र सं. 17/2020 और 05 मई 2020 का साधारण परिपत्र सं. 20/2020 और समय-समय पर जारी सभी अन्य सबंधित परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा कंपनियों को वार्षिक साधारण बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एक सुलभ स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति दी है। अत: एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक साधारण बैठक के लिए निर्धारित किया गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, वास्को-द-गामा, गोवा-403 802 है।

2. अधिनियम की धारा 102 (1) के अनुसार बैठक में किए जानेवाले विशेष कार्य से सबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। नोटिस के मद सं 4 से 6 में दर्शाए गए विशेष कार्य को बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माने जाते है और इसलिए इस नोटिस का हिस्सा बनते है।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य जिन्हें बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है वे सदस्य स्वयं उपस्थित होने के बजाय प्रॉक्सी को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है और उसमें प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि वार्षिक साधारण बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को वास्तविक उपस्थिति की अनुमति नहीं है। **तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और वार्षिक साधारण बैठक का रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।**

4. अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, कॉरपोरेट निकाय(यों) (अर्थात व्यक्तियों / एचयूएफ/ एनआरआई आदि के अलावा) से अनुरोध है कि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर(रों) के साथ वे अपने प्रतिनिधि(यों) को अधिकृत करने वाले इसके बोर्ड / शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित की हुई प्रति ashoksahoo@goashipyard.com पर भेजें।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण

6. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया नोट करें कि वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in पर भी उपलब्ध होगी।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक मॉड में प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत करें । वास्तविक मोड में शेयरधारित सदस्य और जिन्होंने अपने ई-मेल पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल अथवा पूर्वा शेयरजिस्ट्री (भारत) प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के support@purvashare.com ई–मेल पर नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल संख्या और डाक पते का उल्लेख कर और पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ लिखित रूप से पंजीकृत करें। डिमैटरीकृत मॉड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत/अद्यतन करें।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया

8. सदस्यों को सिस्को वेबेक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य निम्नलिखित लिंक एवं विवरण के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकेंगे :

   यूआरएल: https://goashipyard.webex.com/goashipyard/j.php?MTID=m1159f6314cc23fda316ffa407c568a8a
   बैठक संख्या : 2519 123 0479
   पासवर्ड : **PnJvJ5Asp67 (वीडियो सिस्टम से 76785527)**

   वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए उपरोक्त विवरण और लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर वेबेक्स ब्राउजर को निर्देशित किया जाएगा। मोबाइल डिवाइस या टेबलेट से शामिल होने वाले प्रतिभागी कृपया अपने डिवाइस पर उपर्युक्त लिंक एक्सेस करने से पूर्व ही 'सिस्को वेबेक्स मीटिंग्स' ऐप डाउनलोड करें। बैठक में शामिल होने के दौरान प्रतिभागी अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल (अर्थात् नाम और ई-मेल आईडी) दर्ज करेंगे।

9. बेहतर अनुभव के लिए, बैठक में लैपटॉप के माध्यम से भाग लेना और स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का प्रयोग उपयुक्त है।

10. बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक के निर्धारित समय से 30 (तीस) मिनट पहले आरंभ की जाएगी और इसे बैठक की कार्यवाही के दौरान खुला रखा जाएगा। सदस्यों की सुविधा और बैठक के उचित संचालन के लिए, सदस्य बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले शामिल हो सकते हैं।

11. सदस्य जिन्हें बैठक से पहले या उस दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा का उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता है तो, वे कृपया श्री अशोक कुमार साहू, सहायक कंपनी सचिव, गोशिलि को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: ashoksahoo@goashipyard.com या 0832 2512152-56 पर संपर्क करें।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा - Goa 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

बैठक के दौरान सवाल पूछने / स्पष्टीकरण मांगने / मतदान की प्रक्रिया

12. जैसा कि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, बैठक की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए, सदस्यों को अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए ashoksahoo@goashipyard.com ई-मेल पर अग्रिम रूप से अपने विचार/प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैठक के दौरान समुचित उत्तर देने के लिए कृपया 27 सितंबर, 2023 को या उससे पहले प्रश्न/सवाल, यदि कोई हो तो, को प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. बैठक के अध्यक्ष बैठक के दौरान प्रश्नों या विचारों को प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं। जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "चैट आइकन" फीचर या "हाथ उठाएं" फीचर का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. कंपनी को बैठक के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रश्नों की संख्या और बोलने वालों की संख्या को सीमित रखने का अधिकार है।

15. वे सदस्य, जिनके नाम सदस्य के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में 22 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ की तारीख) तक दर्ज किए गए हैं, इस नोटिस में दिए गए कार्य(यों)/संकल्प(ल्पों) पर मतदान देने के हकदार हैं। एमसीए परिपत्रों और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, जहाँ बैठक में 50 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, अध्यक्ष हाथ उठाकर मतदान का संचालन करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि अधिनियम की धारा 109 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती है।

16. जब किसी भी विषय पर मत की मांग की जाती है, तो सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ई-मेल पते (पतों) के माध्यम से केवल chhayajain@goashipyard.com ई-मेल पर संकल्प(ल्पों) के लिए मतदान डालेंगे। मतदान की स्थिति में, सदस्यों/लाभार्थियों (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारण के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ की तारीख के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। यदि मतदानों की गिनती के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो बैठक स्थगित की जा सकती है और परिणाम घोषित करने के लिए बाद में बुलाया जा सकता है।

17. संयुक्त शेयरधारण के मामले में, संयुक्त शेयरधारक जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले है, सिर्फ वही मतदान करने का हकदार होगा।

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया

18. अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके शेयरधारण के रजिस्टर और अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंध या व्यवस्था का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक साधारण बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज भी इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए सदस्यों द्वारा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध रहेंगे। इस तरह के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए सदस्य ashoksahoo@goashipyard.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।

लाभांश संबंधी जानकारी

19. यदि निदेशक मंडल के सिफारिश के अनुसार अंतिम लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है तो घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के अंतर लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम (क) डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों की सूची में लाभार्थी स्वामी के रूप में और (ख) कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के कामकाज के घंटों के बंद होने तक दर्ज है।

20. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत किया है। लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिनके बैंक खाते का विवरण कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि लाभांश की परेशानी मुक्त एवं समय पर भुगतान हेतु कृपया अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत करें / अद्यतन करें। जिन सदस्यों की हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करें। जिन सदस्यों की शेयरधारिता वास्तविक मॉड में है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा प्रदान की गई ECS मैन्डेट सुविधा का लाभ उठाएं। ECS मैन्डेट फॉर्म कंपनी/आरटीए से प्राप्त किया जा सकता है।

21. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य होंगे। इसलिए कंपनी को अपने शेयरधारकों (निवासी एवं अनिवासी) को लाभांश का भुगतान करने के समय स्रोत पर कर कटाना (टीडीएस) आवश्यक है। टीडीएस की दर शेयरधारकों की निवासी स्थिति और कंपनी/आरटीए/डीपी के पास जमा दस्तावेज के आधार पर भिन्न होगी।

निवासी शेयरधारकों के लिए:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के तहत 10% की दर से कर काटा जाएगा जहां कंपनी के रिकॉर्ड में एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) अद्यतन की जाती है और यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर काटा जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 206AB के तहत "निर्दिष्ट व्यक्ति" के मामले में, आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों के दोगुने पर कर की कटौती की जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई सदस्य आईटी अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित उच्च दरों पर कर काटा जाएगा।

जिन सदस्यों ने अपना पैन कंपनी में पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रति वार्षिक साधारण बैठक के पहले या उसी दिन जमा करें। कॉर्पोरेट सदस्यों के मामले में, सत्यापन उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) द्वारा किया जाना है।

निवासी व्यक्ति को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल लाभांश 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा, यदि निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जो आयकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे फॉर्म 15G (कंपनी या

किसी फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है)/फॉर्म 15H (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लागू होता है) स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करें ताकि वे कंपनी से स्रोत पर कर की गैर कटौती का लाभ उठा सकें। निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक भी न्यूनतम कर का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>अनिवासी शेयरधारकों के लिए:</u>

अनिवासी शेयरधारकों को भुगतानित लाभांश की राशि पर आयटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 20% (अतिरिक्त लागू अधिभार और उपकर) की दर से या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी शेयरधारकों के पास, भारत और सदस्यों के कर निवासी देश के बीच बहुपक्षीय उपकरण(एमएलआय) के साथ पढे जाने वाले दोहरे कर से बचने के समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने के विकल्प को चुन सकता है। इस संबंध में, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(क) जिस वर्ष के लिए लाभांश प्राप्त होता है उस वर्ष के लिए शेयरधारक के निवासी देश के राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी और शेयरधारक द्वारा स्वप्रमाणित कर निवास प्रमाण पत्र;

(ख) विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म 10F; इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10F को आय के वेबसाईट के ई–फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है;

(ग) भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आबंटित पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;

(घ) भारत में शेयरधारकों द्वारा कोई स्थायी प्रतिष्ठान/निश्चित आधार न होने की स्व:घोषणा;

(ड़) कंपनी में अपने शेयरधारिता के लाभकारी स्वामित्व की स्व:घोषणा; और

(च) यदि लागू हो तो, कर कम करने के लिए शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किसी अन्य दस्तावेज जिसे आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

लाभकारी कर संधि दर का आवेदन अनिवासी सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और अनुपालन एवं प्रयोज्यता के संबंध में कंपनी की संतुष्टि के लिए इसकी समीक्षा पर निर्भर करेगा।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से पहले उपरोक्त विवरण और दस्तावेज आपके फोलियो नंबर को उद्धृत करते हुए कंपनी/आरटीए संबंधित डीपी के साथ अद्यतन करें।

22. आगे यह भी नोट किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों/घोषणाओं की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी सदस्य के पास आय की विवरणी दाखिल करने का और पात्र होने पर, उचित प्रतिदाय का दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा । काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

अवैतनिक/दावा न किया गया लाभांश

23. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए, लाभांश की

कोई भी राशि जो अवैतनिक या दावा न की गई हो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित लाभांश की अवैतनिक या दावा न की गई राशि को समय-समय पर आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया है। आईईपीएफ को अब तक किए गए हस्तांतरित लाभांश का विवरण आईईपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लिंक www.iepf.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी के पास अवैतनिक या दावा न की गई लाभांश राशि का 31 मार्च, 2022 का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in और उपरोक्त आईईपीएफ की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

24. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश की राशि जो 27 अक्टूबर 2023 को अवैतनिक/दावा न किया गया है, कंपनी द्वारा आयईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस आशय के नोटिस संबंधित शेयरधारकों को 13 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले अवैतनिक लाभांश राशि का दावा करने के लिए भेजे गए हैं। जिन शेयरधारकों ने अभी भी वित्त वर्ष 2015-16 और/या किसी भी बाद के वित्त वर्षों के लिए अवैतनिक लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी को अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें।

25. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 124 (6) के अनुसार, संशोधित आईईपीएफ नियमों के साथ पठित, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान/दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goashipyard.in और आईईपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, जिसे लिंक www.iepf.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने वाले कोई शेयर नहीं है ।

26. सदस्य ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के साथ-साथ दावा नहीं किया गया लाभांश को IEPF प्रधिकारी को फर्म सं. IEPF-5 में निर्धारित ऑनलाईन आवेदन कर वापस दावा किया जा सकता है। IEPF को हस्तांतरित लाभांश शेयरों की राशि के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। सदस्यों को IEPF नियमों के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण www.goashipyard.in में पा सकते हैं।

27. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों और दावा नहीं किए गए लाभांशों से संबंधित सभी जानकारी उनके फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी/आरटीए को भेजें।

अन्य सूचना

28. कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसडीएल और सीडीएसएल में डीमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध हैं। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या **INE178Z01013** है। सदस्य जो वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों का यदि डीमैटरियलाइज्ड करना चाहते हैं, तो वे कृपया उनका/उनकी/उनके डीपी के जरिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के आरटीए का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
यूनिट सं 9, शिव शक्ति इंडस्ट्रीज़ इस्टेट,
जे. आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल ईस्ट,
मुंबई – 400 011
ई-मेल आयडी: support@purvashare.com
दूरभाष: 022 3199 8810/4961 4132

29. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने आवासीय पता, ई-मेल, पिन कोड सह डाक पते, मैंडेट / बैंक विवरणों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए वे अपने फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी/आरटीए को सूचित करें और शेयरों के डीमैटेरियलाइज्ड रूप में होने पर, यह जानकारी उनके संबंधित डीपी को दी जानी चाहिए।

30. वास्तविक शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने अपने नामांकन अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे कंपनी में अपनी शेयरधारिता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 में निर्धारित के अनुसार फार्म संख्या SH-13 प्रस्तुत कर नामांकन करें। यदि कोई सदस्य अपने पहले का नामांकन रद्द कर नया नामांकन करना चाहता है, तो फार्म संख्या SH-14 प्रस्तुत कर नामांकन करें। फार्म संख्या SH-13 एवं SH-14 कंपनी से प्राप्त किया जा सकता है। डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क कर सकते हैं।

31. एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी फोलियो संख्या का विवरण एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए कंपनी/आरटीए को भेज दें।

-------------x------------

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

1. विशेष सूचना से संबंधित सभी वास्तविक तथ्यों को आगे नोटिस में सूचित किया गया है:

मद सं. 4

2. कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 117 (1) के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के मंडल पर सरकारी नामित निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति निहित है। तद्नुसार, श्री टी. नटराजन, अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, अपने दिनांक 23 दिसंबर 2022 की पत्र सं. 8(32)/2019/डी (कॉर्ड/डीडीपी) द्वारा कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसरण में, जैसा कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, मंडल, सदस्यों के अनुमोदन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों के अनुसार कंपनी के मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री टी. नटराजन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखता है।

4. श्री टी. नटराजन का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है:

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा Vasco-da-Gama Goa 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

श्री टी. नटराजन ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक और भारतीदासन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीदासन विश्वविद्यालय से एमबीए(वित्त) पूरा किया है। वे गुजरात कैडर से 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्री नटराजन ने भारत सरकार में आर्थिक मामलों, वित्त, राजस्व, मानव संसाधन विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया और कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे वर्तमान में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) के पद पर कार्य कर रहे हैं। वे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेट्रॉनिक्स लिमिटेड के सरकारी नामित निदेशक भी हैं।

5. बोर्ड नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

6. कंपनी में श्री टी. नटराजन को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संकल्प में किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

मद सं. 5

7. कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 117 (1) एवं 130 (a) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के कार्यात्मक निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति निहित है। तदनुसार, श्री सुनील शिवलिंग बागी को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के दिनांक 26 सितंबर 2022 की पत्र संख्या 2/1(3)/2019/डी(एनएस) द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया, जो उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से यानी 28 सितंबर 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31 जुलाई 2025 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (2) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए, मंडल, सदस्यों के अनुमोदन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार कंपनी के मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में श्री सुनील शिवलिंग बागी की नियुक्ति का प्रस्ताव रखता है।

9. श्री सुनील शिवलिंग बागी का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है:

श्री सुनील शिवलिंग बागी, एक वित्त प्रेफेशनल, उनके पास विभिन्न स्तरों पर 30 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और एक योग्य लागत लेखाकार और कंपनी सचिव हैं। वे 1992 में लेखा अधिकारी के रूप में गोशिलि में शामिल हुए और अपने समर्पण और कड़ी मेहनत से इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचे। गोशिलि में मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में वित्त कार्यों का नेतृत्व करते हुए, श्री बागी ने कंपनी के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने बजट, मूल्य निर्धारण, लागत नियंत्रण और लाभ योजना के लिए वित्तीय रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कंपनी के

Vasco-da-Gama, Goa, 403802, GOA SHIPYARD LIMITED

नए व्यावसायिक अवसरों और व्यवसाय विकास की खोज और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने गोशिलि में निष्पादित 1398 करोड़ रुपये के गोशिलि के क्षमता संवर्धन सह आधुनिकीकरण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

10. बोर्ड नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

11. श्री सुनील शिवलिंग बागी को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संकल्प में किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

मद संख्या 6

12 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार जिन्हें कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित के अनुसार, कंपनी को कंपनी द्वारा बनाए गए रिकार्ड के लेखा परीक्षा करने के लिए एक लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है। लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

13. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएमए दिलीप वेंगुर्लेकर, लागत लेखाकार, पणजी, गोवा को कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में 1,50,000/- रुपये एवं जीएसटी के पारिश्रमिक पर नियुक्त करने और फुटकर व्यय वास्तविक विषय पर अधिकतम 25,000/- एवं लागू कर की मंजूरी दी है।

14. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय उपरोक्त पारिश्रमिक पर विचार करें और नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प को पारित करके पुष्टि करें।

15. कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड**

छाया

(छाया जैन)
कंपनी सचिव

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-द-गामा, Vasco-da-Gama गोवा . Goa. 403802 GOA SHIPYARD LIMITED

स्थान : वास्को द गामा, गोवा
दिनांक : 28 जुलाई 2023